



सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण

का

प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन)

संख्या 529 1999 2000

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि दीग्वीजयनाथ कॉलेज


काफ़ेरीचरि एजूकेशन डी. सिविल लाइन्स

गोलघाट गोरखपुर

को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई० के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण-पत्र 20-10-2004 तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक 21-10- उन्नीस सौ 99 को

मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।


सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।